आदेश व हजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या :136/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. उमेश कुमार मुरारका पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी फ्लाट नम्बर 162, गोविन्दगढ, स्टेशन रोड, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि.)मेन्टोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेटी कालोनी, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण संख्या 24/2021 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) व उनवानी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि.)बनाम उमेश कुमार मुरारका में पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 को रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री दिनेश बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश दिनांक 05.10.2021.

1. संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस न्यायलय के प्रकरण संख्या 24/2021 (किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) व उनवानी मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि.)बनाम उमेश कुमार मुरारका में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 को रिव्यू करने बाबत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मूल पत्रावली शामिल की गई।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को सुना गया ।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी वित्तीय संस्था ने अवैद्य तरीके से बन्धक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किये जाने के लिए धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आदेश पारित करवा लिया। अप्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त सम्पत्ति बन्धक रखने एवं विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पट्टे में टर्मस एवं कन्डीशन दी हुई है, जिसके अनुसार अप्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से कब्जा प्राप्त करने का हक नहीं रखती है। इसलिए अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा गलत तथ्यों पर व अविधिक रूप से प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिस पर पारित आदेश दिनांक 25.02.2021 को रिकाल किया

मजिस्ट्रेट
टर) जयपुर

जाना न्यायोचित है। अतः अप्रार्थी बैंक द्वारा प्राप्त किये गये आदेश दिनांक 25.02.2021 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बन्धक सम्पत्ति बाबत प्रस्तुत दस्तावेज में सम्पत्ति के टाईटल के समर्थन में पट्टाधारी श्री सत्यनाराण शर्मा द्वारा उप पंजीयक गोविन्दगढ से अपने पुत्र ऋणी उमेश मुरारका के पक्ष में किये गये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 8.06.2015 की फोटो प्रति पेश की गई है। जिससे बन्धक सम्पत्ति का टाईटल ऋणी उमेश कुमार मुरारका का पाया गया है। वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत धारा 14 के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किये जाने से पूर्व ऋणियों को न्यायहित में उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किया गये थे, किन्तु ऋणी उपस्थित नहीं हुये । प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण को है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। सरफेशी एक्ट में रिव्यू का कोई विधिक प्रावधान नही है। इसलिए उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन–रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. आदेश आज दिनांक 05.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर